



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब/ 1134 /2024

दिनांक: 03/07/2024
०९

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 03/07/2024) से Sanskar College of Management and Professional Studies को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (2024-2025)	BBA
2 BACHELOR OF COMMERCE (2024-2025)	COMMERCE
3 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (2024-2025)	BCA
4 Bachlor of Fashion Design (2024-2025)	Bachlor of Fashion Design

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2024 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- 1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 ^{^^}The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- 2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/प्रापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- 3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षा आ आद स सम्बन्धित विश्वविद्यालय पारानयमावला/अध्यादेश एवं सुसगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा कार्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता से सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

8- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Hapur मण्डल,

4. प्रबन्धक, Sanskar College of Management and Professional Studies को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Hapur

6. कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव